25/3/26 पत्रावली आज सुनवाई पर ली गई। मूल वाद जरिये विड्रॉवल खारिज हो चुका है। जिससे उक्त T.I. प्रार्थना पत्र को चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अत: उक्त T.I. प्रार्थना पत्र चलाने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला-पाली (राज.) ★

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली